



सूचना | NOTICE

संस्थान के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि संस्थान परिसर, छात्रावासों और संस्थान से संबद्ध किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार की रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। रैगिंग एक दंडनीय अपराध है और रैगिंग और/या रैगिंग को बढ़ावा देने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए यूजीसी विनियम, 2009 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दंडित किया जा सकता है। इसलिए, सभी छात्रों को रैगिंग और/या रैगिंग को बढ़ावा देने से संबंधित किसी भी अपराध से दूर रहने का सख्त निर्देश दिया जाता है।

किसी भी आपात स्थिति में, रैगिंग के कारण परेशान छात्र या अभिभावक रैगिंग विरोधी समिति के किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं, जिनका विवरण परिसर में पहले से ही प्रदर्शित है और संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

यह सभी छात्रों द्वारा कड़ाई से अनुपालन के लिए जारी किया जाता है।

It is hereby informed to all the students of the Institute that **ragging in any form is strictly banned** within the Institute premises, hostels, and any place associated with the Institute. Ragging is a **criminal offence**, and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging is liable to be punished under the **UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009** and as per the provisions of the Indian Penal Code. Therefore, all students are strictly directed to **refrain themselves from any offence related to ragging and/or abetting ragging**.

In case of emergency, students or parents in distress owing to ragging may contact any member of the **Anti-Ragging Committee**, whose details are already displayed in the campus and are also available on the Institute website.

This is issued for strict compliance by all students.


25/08/25

डीन छात्र कल्याण/
Dean Students Welfare

नं./No: NIT/DSW/2025/595

दिनांक/Dated: 25-08-2025

प्रतिलिपि/Copy to:

1. सभी डीन, एचओडी, एचओसी सूचना एवं प्रसार हेतु। All Deans, HoDs, HoCs for information and circulation.
2. अध्यक्ष सीएससी को इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। Chairman CSC for uploading this notice on the Institute Website.
3. निदेशक के विशेष सचिव कृपया निदेशक की जानकारी के लिए। Special Secretary to Director for information of the Director please.
4. कृपया रजिस्ट्रार की जानकारी के लिए/P.S to Registrar for information of the Registrar.
5. सभी वार्डन की जानकारी एवं संचलन के लिए / All Wardens for information and circulation.
6. सभी हॉल सहायकों को जानकारी एवं संचलन के लिए / All Hall Assistants for information and circulation.
7. सभी नोटिस बोर्ड | All notice boards.